

महत्वपूर्ण एवं खास

22 दिसम्बर को एम्बुलेंस वाहनों का होगा फिटनेस परीक्षण

रायगढ़। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 22 दिसम्बर को जिले के समस्त एम्बुलेंस वाहनों का फिटनेस परीक्षण किया जाएगा। समस्त एम्बुलेंस वाहन स्वामी 22 दिसम्बर दिन रविवार को दोपहर 2 बजे शहीद कर्नल निप्लव त्रिपाठी स्टेडियम, रायगढ़ में उपस्थित होकर अपने एम्बुलेंस वाहन का फिटनेस जांच करा सकते हैं।

आईपीएस जीपी सिंह ने ड्यूटी किया ज्वाइन

रायपुर (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा बहाली आदेश जारी करने के बाद एक दिन बाद आईपीएस जीपी सिंह ने ज्वाइनिंग दे दी है। गौरतलब है कि, 1994 बैच भापुसे अफसर के आईपीएस गुजिंदर पाल सिंह को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन, आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था। इस प्रस्ताव के बाद केंद्र ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों को लाया गया रायपुर

रायपुर (आरएनएस)। नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र के कच्चापाल कैंप से तीन किमी दूर नक्सलियों द्वारा लगाये हुए प्रेशर आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट की चपेट में आकर घायल हुए जवानों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। घायल जवानों को राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार चर रहा है। बता दें कि शुक्रवार की सुबह पुलिस कैम्प कच्चापाल से डीआरजी व बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के जवान नक्सल सचिब के लिए कच्चापाल-तोके मार्ग में रवाना हुए थे। सुबह लगभग साढ़े आठ बजे ग्राम कच्चापाल से तीन किमी पश्चिम दिशा में नक्सलियों द्वारा लगाये हुए प्रेशर आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट की चपेट में आकर डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) बल के दो जवान आरक्षक जनक पटेल व आरक्षक घासीराम मांझी घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार पश्चात दोनों जवानों को जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया था जहां से उन्हें रायपुर रेफर किया गया है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तबादला

रायपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग में मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव और अवर सचिव लेवल के अधिकारियों को इधर से उधर किया है। संयुक्त सचिव विमला नावरीया को पशुधन विकास तथा मछली पालन विभाग से हटाकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थ किया गया है। वहीं उपसचिव शैलाभ साहू को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। इसी प्रकार श्रीमति सुर्यकिरण तिवारी उप सचिव को श्रम विभाग से योजना आर्थिक व सांख्यिकी विभाग भेजा गया है। अभिषेक अग्रवाल उप सचिव को सामान्य प्रशासन विभाग से गृह विभाग भेजा गया है। वहीं दीपक कुमार निकुंज भाग सचिव को सामान्य प्रशासन विभाग से राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रुचि शर्मा अवर सचिव पर्यटन व संस्कृति विभाग को वतमान कन्नड़/बालिका के साथ साथ गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार शिखरी थॉमस अवर सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) भेजा गया है।

राजस्व का प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण -कलेक्टर

- आरबीसी 6-4 के लंबित प्रकरणों का त्वरित करने के लिए निर्देश
- प्राथमिकता के साथ करें अभिलेख शुद्धता का कार्य
- जिले में बारदाना पर्याप्त, धान खरीदी का कार्य रखें नियमित
- कलेक्टर गोयल ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक



रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर गोयल ने अविवादित, विवादित नामांतरण, बटवारा, सीमानकन, भू-अर्जन जैसे विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित और विवादित नामांतरण

के मामले को प्राथमिकता एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुए निराकृत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने राजस्व अभिलेख में आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर, किसान किताब, जेंडर प्रविष्टि के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभिलेख शुद्धता के कार्यों में तेजी लाएं। कलेक्टर गोयल ने तहसीलवार पटवारियों के

कार्यों की समीक्षा करते हुए नक्शा बटांकन के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अर्वाइड पारित होने के पश्चात रिकॉर्ड दुरुस्ती के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण की भी जानकारी ली। उन्होंने वसूली पत्रक अंतर्गत भू-राजस्व कर, पंचायत उपकर, शाला भवन उपकर, नजूल भूमि से प्राप्त भू-भारक तथा आरआरसी की समीक्षा की। उन्होंने वसूली के संबंध

में विशेष निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने आरबीसी 6-4 के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए सभी प्रकरणों में विधि वत प्रक्रिया का पालन करते हुए त्वरित निराकृत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरण आगामी एक माह में निराकृत करें। इस अवसर पर प्रभारी अपर कलेक्टर ऋषा ठाकुर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पीडीएस दुकानों से हितग्राही को मिले नियमित अनाज- कलेक्टर गोयल ने कहा कि कई क्षेत्रों में पीडीएस दुकान संचालकों द्वारा अनाज वितरण की शिकायत प्राप्त होती है। उन्होंने सभी एसडीएम को पीडीएस दुकानों से लोगों को निर्धारित एवं नियमित रूप से राशन प्राप्त हो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पीडीएस दुकानों के भौतिक सत्यापन की स्थिति की जानकारी भी ली।

धान खरीदी के सुचारु संचालन के लिए निर्देश- कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने सभी एसडीएम को धान खरीदी नियमित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रकबा समर्पण के साथ ही निरीक्षण के दौरान धान स्टॉकिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने बारिश के मद्देनजर उपार्जन केन्द्रों में कैप कवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार निरीक्षण कर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत बालिका सदन में शिविर आयोजित

रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ न्यायाधीश/ सचिव अंकिता मुदलियार के नेतृत्व में जिला स्तरीय बालिका सदन में कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न एवं मादक पदार्थों की रोकथाम पर शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के संबंध में बताया गया। साथ ही उनके अधिकार एवं उन्हें आने वाली चुनौतियों के संबंध में संबंधित विभाग कैसे सहायता कर सकता है के संबंध में विस्तार से जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ न्यायाधीश/ सचिव अंकिता मुदलियार ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में बताया। उन्होंने बताया कि एक सुरक्षित कार्यस्थल न केवल

महिलाओं की गरिमा की रक्षा करता है बल्कि एक सकारात्मक और उत्पादक वातावरण का निर्माण करता है। उक्त अधिनियम का पालन कर हम महिलाओं को समान अवसर और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उनके अधिकार एवं चुनौती के संबंध में बताया गया। लोगों से बिना भेदभाव के उनके अधिकारों एवं चुनौती के संबंध में बताया। साथ ही आयोजित शिविर में बालिका सदन में मादक द्रव्य दुरुपयोग एक विश्वव्यापी खतरा बन गया है। मादक द्रव्य की लत के अभिशाप से विश्व का कोई भाग अछूता नहीं है, मादक द्रव्य का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता के रूप में सामने आया है जो देशों के भौतिक और सामाजिक कल्याण को प्रभावित कर रहा है। अर्थात् मादक द्रव्य की समस्या आज पूरे समाज को खोखला कर राष्ट्र के नवनिर्माण में बाधक बन रही है। आयोजित शिविर में उपस्थित लीगल एड डिफेंस कौंसिल असिस्टेंट पूजा शर्मा, रूपाली, लता एवं बालिका सदन के स्टॉप, पैरालिगल वालिंटियर उपस्थित रहे।

संयुक्त जांच टीम ने परिवहन उल्लंघन के नियमों पर 17 वाहनों पर 3 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

□ बिना तारपोलिन के परिवहन, ओवर लोडिंग के मामलों पर की गई कार्यवाही

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले में कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों के द्वारा नियमों के पालन की जांच हेतु संयुक्त जांच दल गठित की गई है। जिनके माध्यम से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गत दिवस संयुक्त दल द्वारा जांच करने पर विभिन्न उद्योगों के 17 वाहनों पर परिवहन नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 3 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इसी तरह परिवहन विभाग द्वारा जांच के



दौरान बिना तारपोलिन के परिवहन, ओवर लोडिंग एवं ट्राली से ऊंचाई तक परिवहन किए जाने पर विभिन्न वाहनों पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संयुक्त जांच अभियान में परिवहन विभाग, खनिज विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल थे।

क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का उचित रूप से कन्वर्ट किये जाने कन्वर्ट स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर पालन की जांच करने हेतु गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी द्वारा 19 दिसम्बर 2024 को रायगढ़ से घरघोड़ा के मध्य वाहनों की सघन जांच की गई। पर्यावरण विभाग रायगढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने ट्राली में 05 से.मी.फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना, कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने पर उद्योग मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड

मेसर्स एनआर स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड पूंजीपथरा, मेसर्स सिंगल इन्टरप्राइजेस ग्राम-तराईमाल, मेसर्स श्याम इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-तराईमाल रायगढ़ के 9 वाहनों पर 2 लाख 60 हजार रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही इस समाह गिड्री परिवहन करने वाले वाहनों द्वारा एसओपी का पालन नहीं किये जाने पर 6 उद्योगों के 8 वाहनों पर 40 हजार रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। परिवहन विभाग द्वारा बिना तारपोलीन परिवहन पर 10 हजार, ओवर लोडिंग पर 30 हजार एवं ट्राली से ऊंचाई तक परिवहन किये जाने पर 40 हजार रुपये इस तरह विभिन्न वाहनों पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला आयोजित : 792 लोगों का हुआ निःशुल्क उपचार

रायगढ़। आयुष संचालनालय के निर्देशानुसार शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय रायगढ़ में जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर जानकी काटजू, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम पूरम सोलंकी, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल उपस्थित थे। आयुष स्वास्थ्य शिविर में 792 रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया। जिसमें 120 रोगियों का होम्योपैथी पद्धति एवं 672 लोगों का आयुर्वेद पद्धति से उपचार किया गया। वहीं 230 लोगों का रक्त परीक्षण कर सभी लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़ा पिलाया गया।



महापौर जानकी काटजू ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की महत्ता और इसकी बढ़ती लोकप्रियता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन और समृद्ध चिकित्सा पद्धति है, जो न केवल बीमारियों का इलाज करती है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। उन्होंने जनसामान्य से आयुर्वेदिक उपचार और औषधियों को अपनाने हेतु

प्रोत्साहित किया। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा कि आयुर्वेद के जरिए न केवल रोगों का उपचार संभव है, बल्कि यह मानव शरीर को रोग-प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे उनके जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरणा देता है। आयोजित शिविर में ज्यादातर बात रोग, आमवात, गठिया बात, जानशुल, कटिशुल, दौरबल्य, शीरशुल, उदर रोग, चर्म रोग, मूत्र रोग, अर्थ, प्रतिशयाय, ध्वास, कास, ज्वर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग, नेत्र रोग, कान रोग, गला रोग, खून

बड़ेहरदी में जोन स्तरीय शालेय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ



रायगढ़। खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल, प्राचार्य हाई स्कूल बड़ेहरदी बोधराम साव, अन्य जनप्रतिनिधि, स्कूल स्टाफ सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला हेतु खोबो, कबड्डी, संखली, रिले रेस, ट्रिंग्टी दौड़, बोरा दौड़, रस्सी कूद, घडा दौड़, कुर्सी दौड़ के साथ जोन में जोन स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़ेहरदी स्कूल प्रांगण में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जनपद सदस्य अशोक गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर सरपंच सुधांशु साहू, मंडी अध्यक्ष मुक्तेश्वर पंडा, विकास

बच्चों में शारीरिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास हेतु विकास खंड पुस्तोरी में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शालेय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु पंचपरवा जोन में जोन स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़ेहरदी स्कूल प्रांगण में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जनपद सदस्य अशोक गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर सरपंच सुधांशु साहू, मंडी अध्यक्ष मुक्तेश्वर पंडा, विकास

खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल, प्राचार्य हाई स्कूल बड़ेहरदी बोधराम साव, अन्य जनप्रतिनिधि, स्कूल स्टाफ सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला हेतु खोबो, कबड्डी, संखली, रिले रेस, ट्रिंग्टी दौड़, बोरा दौड़, रस्सी कूद, घडा दौड़, कुर्सी दौड़ के साथ जोन में जोन स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़ेहरदी स्कूल प्रांगण में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जनपद सदस्य अशोक गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर सरपंच सुधांशु साहू, मंडी अध्यक्ष मुक्तेश्वर पंडा, विकास

राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 30 दिसम्बर तक मंगाए गए प्रविष्टियां

रायगढ़। होगा। लिफाफे के ऊपर राज्य वीरता पुरस्कार 2024 अंकित किया जाए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि प्रविष्टियां जमा करने हेतु बालक/बालिकाओं का पूर्ण परिचय, बालक/बालिकाओं, किसी घटना विशेष में अदम्य साहस, शौर्य एवं बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी देना होगा जिसमें यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा कि उपलब्धि वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। समाचार पत्र-पत्रिका की कतरन/पुलिस डायरी जिसमें घटना का

वितरण दर्शित हों, समक्ष प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बालक/बालिका के 02 नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, कार्य घटना का विस्तृत विवरण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित), अन्य सुसंगत दस्तावेज जो आवश्यक हों, आवेदक की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष या उससे अधिक नहीं होने चाहिए एवं वीरता कार्य 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 के मध्य का होना आवश्यक है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है। यह पुरस्कार किसी भी बालक/बालिका को केवल एक बार ही प्राप्त हो सकता। आवेदन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-01 में जमा करना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन से जिले के टीबी मरीजों को मिल रहा बेहतर इलाज

□ शासकीय अस्पताओं में जांच एवं उपचार पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध □ कार्यक्रम का लाभ लेकर अब तक 16 हजार 676 मरीज पूर्ण रूप से हुए स्वस्थ

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ. बी.के. चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में जिले में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है। जिसके सीधा लाभ टीबी मरीजों को मिलता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आज हजारों लोग स्वास्थ्य विभाग के बेहतर इलाज एवं मॉनिटरिंग के पश्चात आजीवित हो चुके हैं।

ऐसी ही कहानी रायगढ़ के धनेश्वर जिनकी तबीयत पूर्व वर्षों अचानक से खराब होने लगी, कई जगह डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। परिनज की सलाह पर उन्होंने मितानिन के माध्यम से जिला चिकित्सालय रायगढ़ में स्थित जिला क्षय उन्मूलन केन्द्र में अपने बलगम की जांच कराई गई। जिसमें टी.बी. मरीज के रूप में पुष्टि हुई। टीबी मरीज की पुष्टि उपरांत जिला अस्पताल से ही इनकी टी.बी. की दवा प्रारंभ की गई जो कि इनको पूर्णतः निःशुल्क 06 माह तक उपलब्ध कराया गया तथा दवा के साथ-साथ इनको निरंतर प्रत्येक माह पोषण आहार के रूप में फुड बास्केट भी उपलब्ध कराया गया। वहीं शासन द्वारा निक्षेप पोषण योजना अंतर्गत प्रति माह 500 रुपए

सीधे इनके बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान किया गया। उनके द्वारा टीबी की दवा के नियमित सेवन एवं दवा पूर्ण होने के उपरांत इनका जांच परीणाम टीबी निगेटिव पाया गया। आज धनेश्वर पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं टीबी वैमिपयन के रूप में कार्यक्रम से जुड़कर तथा डाट्स की दवा एवं उपचार के संबंध में जनजागरूकता का कार्य भी कर रहे हैं। इसी प्रकार माधुरी को काफी दिनों से खांसी की शिकायत थी। जिसके पश्चात उन्होंने विकासखण्ड घरघोड़ा के सामु.स्वा.केन्द्र घरघोड़ा में निःशुल्क बलगम जांच, खून जांच एवं एक्स-रे कराया गया, जांच उपरांत टीबी की पुष्टि हुई। पुष्टि उपरांत सामु.स्वा.केन्द्र घरघोड़ा से ही इनकी टीबी की दवा प्रारंभ की गई जो कि

उन्हें 06 माह तक पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया गया तथा दवा के साथ-साथ इनको निरंतर प्रत्येक माह पोषण आहार के रूप में फुड बास्केट भी उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही शासन के योजनांतर्गत प्रत्येक माह 500 रुपए बैंक खाते में डीबीटी के में माध्यम से प्रदान किया गया। टीबी की दवा पूर्ण करने के पश्चात आज माधुरी का टीबी निगेटिव पाया गया साथ ही आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उल्लेखनीय है कि टीबी मरीजों को द्वारा टीबी का इलाज निजी चिकित्सालय में कराए जाने पर हजारों रूपयों का खर्च करना पड़ता है जबकि जांच एवं उपचार शासकीय संस्था में पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। वहीं शासन की राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गाईडलाइन अनुसार सभी संदेहास्पद टीबी की दवा प्रारंभ की गई जो कि

मरीजों को निःशुल्क उच्च तकनीक के द्वारा जांच कर टीबी की पुष्टि होने पर उचित एवं नियमानुसार उपचार कर रोगमुक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत पंजीकृत टीबी मरीजों को उपचार के दौरान प्रिमिहा अतिरिक्त पोषण के रूप में फुड बास्केट एवं निक्षेप पोषण योजना अंतर्गत 500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाता था जो नवम्बर 2024 से 01 हजार रुपये हो चुका है। ट्रायबल एवं पहाड़ी क्षेत्र के टीबी मरीजों को यात्रा भत्ता के रूप में यात्रा भत्ता के रूप में 750 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2017 से अब तक 16 हजार 676 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं बालाभित हो चुके हैं।